



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



23 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 735 राँची, गुरुवार

14 दिसम्बर, 2023 (ई०)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

14 नवम्बर, 2023

विषय: राज्य की नई झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण के संबंध में ।

संख्या-ITSec1/IT-Startup-ITS1-1/2021/IT 3272--झारखण्ड एक सशक्त राज्य के रूप में व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के लिये कृतसंकल्पित है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय के अंतराल पर नवीन तकनीकों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप नीति का निर्माण किया जाता रहा है। इससे पूर्व सर्वप्रथम 2016 में राज्य के स्टार्टअप नीति का निर्माण विभाग द्वारा किया गया था, परन्तु इस बार राज्य स्टार्टअप नीति का निर्माण Hand Holding के दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया गया है जिसमें स्टार्टअप उद्यमों को शुरूआती चरणों में ही सक्षम तथा सशक्त बनाते हुए उद्यमियों की विकास यात्रा में राज्य की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। नीति का निर्माण आगामी 5 (पाँच) वर्षों में उद्यमिता को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, राज्य में निवेश बढ़ाने, उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य को इस क्षेत्र में दीर्घकालिक तथा व्यवस्थित प्रभावी मार्ग प्रशस्त करने पर केन्द्रित है ।

2. विजन (Vision): Incubation Centres, SEB एवं HET's के समर्पित नेटवर्क के माध्यम से सफल एवं प्रभावशाली उद्यमों के निर्माण के लिए "Entrepreneurs and Startups" को एक उचित वातावरण प्रदान करने के साथ वर्ष 2028 तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण कर राज्य को देशभर में शीर्ष 10 (दस) राज्यों में सम्मिलित करना ।
3. मिशन: आगामी 5 वर्षों में कम से कम 1000 स्टार्टअप्स के विकास एवं स्केलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए entrepreneurship ecosystem का निर्माण करना ।
4. इस नीति के तहत स्टार्टअप उद्यमियों को सक्षम एवं सशक्त बनाने हेतु Subsistence Allowance उपर्युक्त नीति के अनुरूप प्रदान किया जाएगा । साथ ही, उक्त के अलावे महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग को Special Allowance भी दी जाएगी । स्टार्टअप को उत्पाद/समाधान प्रोटोटाइप/प्रारंभिक सेटअप के विकास के लिए (निर्वाह भत्ता एवं विशेष भत्ता को छोड़कर) वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप को अपने व्यवसाय/उत्पाद/समाधान के लिए संवर्धन के लिए One Time Grant प्रदान की जाएगी । स्टार्टअप द्वारा GST, Patent Filing, Registration Fee/ Stamp Duty, Municipal Duties, Lease Rentals, Internet Bandwidth, Electricity Bills इत्यादि पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति उपर्युक्त नीति के अनुरूप की जाएगी। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में उधमिता एवं Innovation को बढ़ावा देने के लिए उक्त संस्थानों में Incubation/Innovation Center स्थापित करने के लिए Special Endowment Fund प्रदान की जाएगी। इस क्रम में निजी शिक्षण संस्थानों में भी इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी । इस निमित्त विभाग द्वारा SOP एवं Document Checklist शीघ्र ही तैयार कर निर्गत की जाएगी । उक्त से संबंधित विस्तृत विवरणी नई झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 (प्रति संलग्न) में सन्निहित है ।
5. स्टार्टअप नीति की वैधता- यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी होगी ।
6. अतः प्रस्तावित है कि राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नई Jharkhand Startup Policy-2023 (प्रति संलग्न) की स्वीकृति प्रदान की जाय तथा पूर्व में इस निमित्त निर्गत नीति को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त नीति अधिसूचित होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी होगी ।
7. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
8. प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्यकर विभाग का अनुमोदन/सहमति प्राप्त है ।
9. प्रस्ताव तथा संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति सशर्त निम्नवत् प्राप्त है:-
 - i. Draft Policy की कंडिका-1.2(iv) के अनुसार "The Government of Jharkhand can provide financial support to startups for scaling their product/solution and expansion of their businesses by its internal fund."

उक्त कंडिका में अंश “by its internal fund” की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परन्तु उक्त internal fund का disbursement राज्य सरकार के अंतर्गत गठित Section-8 Company अटल बिहारी वाजपेयी इन्नोवेशन लैब द्वारा State Evaluation Board (SEB) द्वारा चयनित स्टार्टअप्स को किया जायेगा। अतः उक्त कंडिका में अंश “by its internal fund” की आवश्यकता है।

- ii. Draft Policy की कंडिका-1.3 (xi) के अनुसार “Special incentives to SC/ST/Female/Transgender/ Divyang Start-up: Additional 5% on lease rentals, Internet bandwidth and electricity bills shall be reimbursed for SC/ST/Female/Divyang start-up maximum amount mentioned in the respective reimbursements will remain same.”

उक्त कंडिका के अनुसार सभी SC/ST/Female/Transgender/ Divyang Start-up को Special incentives का लाभ अनुमान्य होगा, जबकि संलेख प्रारूप के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासी विभाग सिर्फ झारखण्ड राज्य के SC/ST/Female/Transgender/Divyang को उक्त Special incentives का लाभ देना चाहता है। अतएव प्रशासी विभाग इस संबंध में स्वयं आश्वस्त हो लेना चाहेगा।

उक्त कंडिका के अनुसार सभी SC/ST/Female/Transgender/ Divyang Start-up को Special incentives का लाभ अनुमान्य होगा एवं इस नीति के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के SC/ST/Female/Transgender/ Divyang Start-up को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु उक्त Special incentives का लाभ दिया जाएगा। यह प्रावधान महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए पूर्व से ही अधिसूचित है तथा अन्य के लिए यह प्रावधान निदेशक के अध्यक्षता में गठित समिति से प्राप्त सुझाव एवं आमजनो से प्राप्त सुझाव के आधार पर किया गया है।

- iii. प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर वाणिज्यकर विभाग की सहमति प्राप्त नहीं है।

परन्तु प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर वाणिज्यकर विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. उपर्युक्त Draft Policy पर विधि विभाग द्वारा उपर्युक्त Policy के अंतर्गत निम्नांकित को भी कथित Policy के उद्देश्यों की पूर्ति/अग्रसरन में समावेश किये जाने पर विभाग में विचार करते हुए आश्वस्त होने के सुझाव के साथ विधिक्षा प्राप्त है।

1. Faculty Development Program – Universities/Colleges shall organize faculty development program to promote innovation and entrepreneurship at the college level.
2. Gap Year for Students – Students who wish to pursue entrepreneurship shall be allowed to take a break of one year (Gap Year), after the first year of the graduation/post-graduation course. This one year break would not be counted in the maximum duration required to complete the course. The “Gap Year” facility may be given to ensure syllabus continuity at the time of joining back.
3. Student Projects – Student entrepreneurs working on a Startup idea shall be permitted to convert their Startup Project as their final year Project towards degree completion.
4. Establish E-Cells in Universities, Colleges and Schools – Entrepreneurship Cell (E-Cell) would be established to encourage and support college-level student to start their own Enterprise.

11. राज्य की नई झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 इस संकल्प के साथ संलग्न है। राज्य में स्टार्ट-अप नीति 2016 संबंधी निर्गत एतदर्थ Policy के संकल्प निर्गत की तिथि से निरस्त किया जाता है। उक्त नीति में दी गई छूट संकल्प निर्गत की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों के लिए प्रभावी होगी ।
12. इसे तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव ।
